ऊर्जा अनुभाग-2
संख्या- 2 / 2024 / 872 /24-पी-2-2023/ 63(नियुक्ति)/2011
लखनऊ, दिनांक-03 नवम्बर- 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1999) की धारा 23 की उपधारा (4), (5), (6), (7) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2003) की धारा 131 की उपधारा (4), (5), (6), धारा 133 और अन्य लागू उपबन्धों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) और जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (जवाहरपुर वीयूएनएल) के उपक्रमों सहित कृत्यों और उपक्रमों का यूपी जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूपीजेवीएनएल) में समामेलन व विलयन के माध्यम से अंतरण और निहित करने के प्रयोजन उससे सम्बन्धित आनुषंगिक तथा प्रासंगिक मामलों के लिए एवं उन निबन्धन और शर्तों को अवधारित करने के लिए जिन पर ऐसे अन्तरण या निहित या पुनर्निहित किया जाएगा, एतद्द्वारा निम्नलिखित योजना बनाती हैं :-

उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (राज्य उत्पादन कंपनियों का समामेलन और विलयन) योजना, 2023

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

(1). यह योजना उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (राज्य उत्पादन कंपनियों का समामेलन और विलयन) योजना, 2023 कही जायेगी।

(2). इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा और यह राज्य के बाहर जहॉ कहीं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और यू.पी. जल विद्युत निगम लिमिटेड के कृत्यों, संपत्तियों, हितों, अधिकारों, दायित्वों, बाध्यताओं, कार्यवाहियों और कार्मिको पर भी लागू होगी।

(3). यह सरकारी गजट में इसकी अधिसूचना के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ

(1) जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस योजना में:-

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2003) से है;

(ख) ''आस्तियों'' में उत्पादन स्टेशन, संयंत्र, मशीनरी, संबंधित ट्रांसमिशन लाइन सहित उपकरण, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, स्विच यार्ड, केबल,प्रसुविधाएं, टावर, मीटर, सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और जलाशय, बांध और हाइड्रोलिक कार्य, पुर्जे, उपभोज्य, कच्चा माल, ईंधन, सिविल कार्य प्रतिष्ठापन, प्रगतिशील कार्य, स्क्रैप और भूमि, भवन, कार्यालय, स्टोर, फर्नीचर, फिक्चर्स, वाहन, आवासीय क्वार्टर, अतिथि गृहों एवं उनसे सम्बन्धित सुख सुविधाएं तथा प्रतिष्ठापन, अन्य जंगम एवं स्थावर आस्तियां, आदि सम्मिलित हैं।

(ग) ''आयोग'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग से है;

(घ) ''अन्तरण का प्रभावी दिनांक'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के अधीन कृत्यो और उपक्रमों के समामेलन और विलयन के माध्यम से अन्तरण और निहित करने के लिए यथा अधिसूचित दिनांक 01.04.2022 से है;

(ङ) ''जवाहरपुर वीयूएनएल'' का तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थ के अंतर्गत सीआईएन यू40102 यूपी200एसजीसी038142 के साथ एक सरकारी कंपनी जवाहरपुर विद्वुत उत्पादन निगम लि0 से है ।

(च) ''दायित्वों'' में दायित्व, ऋण, देयक, बाध्यतायें और कानूनी दायित्व और किसी भी प्रकृति के सरकारी उद्ग्रहण और आकस्मिक दायित्व सहित अन्य जावक/बकाया सम्मिलित होंगे जो अन्तरण के प्रभावी दिनांक से पहले लेनदेन के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं;

(छ) ''कार्मिक'' का तात्पर्य कर्मचारिवृन्द, कामगार, कर्मचारी, अधिकारी और प्रबंधक चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों से है और इसमें वे लोग सम्मिलित होंगे जो अन्य संगठनों या संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर हैं;

(ज) ''कार्यवाही'' में किसी भी प्रकृति की समस्त कार्यवाहियां, वाद, अपील, शिकायत, याचिकाएं, आवेदन, सुलह संबंधी कार्यवाहियां, मध्यस्थता या कोई अन्य कार्यवाही चाहे वह दीवानी हो या आपराधिक या अन्यथा, सम्मिलित होंगी;

(झ) ''संपत्ति'' का तात्पर्य बिजली प्रणालियों, बांधों, सुरंगों, जल संवाहक प्रणालियों के ग्रहण और निकास संरचनाओं, उत्पादन स्टेशन के साथ सहयुक्त संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, पारेषण टावरों, लाइनों, ट्रांसफार्मर, ब्रेकरों, भूमि, भवन, कार्यालयों, स्टोर, प्रतिष्ठापन, फर्नीचर, फिक्चर्स, वाहन, आवासीय क्वार्टर तथा अतिथि गृहों और उससे संबंधित सुख-सुविधाएं तथा प्रतिष्ठापन और अन्य जंगम एवं स्थावर आस्तियां, हाथ में नकदी, बैंक में नकदी, निवेश, पुस्तकीय ऋण- भौतिक और अभौतिक, मूर्त और अमूर्त आस्तियां , प्रसुविधायें, सहमति, प्राधिकार, रजिस्ट्रीकरण, पेटेंट, व्यापार चिन्ह और प्रत्येक प्रकार की शक्तियाँ, जिनकी प्रकृति और विवरण कुछ भी हो, विशेषाधिकार, स्वतंत्रता, सहजता, सहूलियतें, अनुमोदन, संविदायें, विलेख, योजनाएँ, बन्ध पत्र, करार और अन्य लिखत तथा ब्याज चाहें किसी भी प्रकृति के और कहीं भी स्थित हों, को सम्मिलित करते हुए समस्त आस्तियों से है;

(ञ). ''परिणामी इकाई'' या ''समामेलित इकाई'' का तात्पर्य इस योजना के अधीन राज्य उत्पादन कंपनियों के समामेलन और विलयन के पश्चात् की इकाई अर्थात, यूपीजेवीएनएल से है;

(ट) ''अनुसूची'' का तात्पर्य इस योजना से संलग्न अनुसूचियों से है;

(ठ) ''योजना'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (राज्य उत्पादन कंपनियों का समामेलन और विलयन) योजना, 2023 से है;

(ड) ''राज्य'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है;

(ढ़) ''राज्य उत्पादक कंपनियों'' का तात्पर्य यूपीजेवीएनएल, यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल से होगा;

(ड़) ''राज्य सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(त) ''सेवांत प्रसुविधाएं'' का तात्पर्य उपादान, पेंशन, महंगाई भत्ता, अवकाश नकदीकरण और अन्य लागू प्रसुविधाओं से है, जिसमें यूपीआरवीयूएनएल, यूपीजेवीएनएल, जवाहरपुर वीयूएनएल में प्रचलित प्रथा के अनुरूप उपरोक्त प्रसुविधाओं में समुचित पुनरीक्षण करने का अधिकार सम्मिलित है;

(थ) ''उपक्रम'' का तात्पर्य कृत्यों तथा क्रियाकलापों, आस्तियों, दायित्वों, बाध्यताओं, कार्यवाहियों और उससे संबंधित कार्मिको की कारबार इकाई से है;

(द) ''उत्तर प्रदेश सुधार अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1999) से होगा;

(ध) ''यूपीजेवीएनएल'' का तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थान्तर्गत सीआईएन यू31901यूपी1985एसजीसी007135 के साथ एक सरकारी कंपनी उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 से है;

(न) ''यूपीआरवीयूएनएल'' का तात्पर्य, कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थान्तर्गत सीआईएन यू40101यूपी198एसजीसी005065 के साथ एक सरकारी कंपनी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से है।

(2) इस योजना में प्रयुक्त और इस योजना में अपरिभाषित किन्तु विद्युत अधिनियम, 2003 या उत्तर प्रदेश सुधार अधिनियम, 1999 में परिभाषित शब्दों और पदो के वही अर्थ होगे जो उक्त अधिनियमों में उनके लिये समनुदेशित हैं।

3. यूपीजेवीएनएल में यूपीआरवीयूएनएल व जवाहरपुर वीयूएनएल का समामेलन, विलयन और निहित किया जाना

एक- इस योजना के उपबंधो के अध्यधीन और अन्तरण का प्रभावी दिनांक यथा दिनांक 01-04-2022 से, समस्त आस्तियों, दायित्वों, संपत्तियों, कार्यवाहियों और कार्मिको के साथ-साथ यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल के कृत्य और उपक्रम राज्य सरकार, यूपीजेवीएनएल, यूपीआरवीयूएनएल या जवाहरपुर वीयूएनएल सहित किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा अग्रतर किए जाने वाले किसी भी कार्य, विलेख या बात के बिना, समस्त आशयों और प्रयोजनों हेतु समामेलन और विलयन के माध्यम से अन्तरित और यूपीजेवीएनएल में निहित होंगे।

दो- उप-खंड (1) के अधीन उपक्रमों का अन्तरण और निहित होना, इस अन्तरण योजना के निबन्धन में, समस्त आशयों और प्रयोजनों हेतु जहां है जैसा है आधार पर और एक चालू व्यवसाय के रूप में राज्य सरकार या यूपीजेवीएनएल, यूपीआरवीयूएनएल या जवाहरपुर वीयूएनएल या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकार द्वारा अग्रतर किये जाने वाले किसी कार्य, विलेख या बात के बिना उपक्रमों का समामेलन और विलयन होगा।

तीन- इस योजना के अधीन उपक्रमों और परिणामी इकाई का समामेलन, विलयन, अन्तरण और निहित किया जाना इस योजना को अधिसूचित करने वाली उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की कार्यवाही के अनुसार संचालित और प्रभावी होगा और राज्य सरकार या यूपीजेवीएनएल, यूपीआरवीयूएनएल या जवाहरपुर वीयूएनएल या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकार यूपीजेवीएनएल, यूपीआरवीयूएनएल या जवाहरपुर वीयूएनएल के लेनदारों या अन्य व्यक्तियों सहित बिना किसी और कार्य, विलेख या बात के किया जाएगा।

चार- अन्तरण के प्रभावी दिनांक पर कृत्यों और उपक्रमों के समामेलन, विलयन, अन्तरण और निहित होने पर, निम्नलिखित प्रभावी होंगेः

(क) परिणामी इकाई अर्थात् यूपीजेवीएनएल उक्त प्रयोजन हेतु कंपनी रजिस्ट्रार के पास आवश्यक घोषणा दाखिल करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगा।

(**ख**) यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल समापन के बिना समाप्त हो जाएंगे और परिणामी इकाई, यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल, आवश्यक घोषणा दाखिल करेंगे एवं यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल का समापन किए बिना ऐसे परिसमापन हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रदान की गई औपचारिकताओं का अनुपालन करेंगे।

(**ग**) अन्तरण के दिनांक से परिणामी इकाई यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल के उपक्रमों के संबंध में या लागू सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों का उपयोग करने की हकदार होगी और भू-किराया सहित सभी करों और प्रभारों के संदाय हेतु दायी होगी और सभी बाध्यताओं को पूरा करेगी।

(**घ**) परिणामी इकाई, इस अधिसूचना के अनुसरण में समुचित प्राधिकारियों द्वारा परिणामी इकाई के नाम पर लागू की जाने वाली और बनाई जाने वाली और सम्यक रूप से अभिलिखित की जाने वाली संपत्तियों, आस्तियों और हितों के लिए हक के नामांतरण /प्रतिस्थापन की हकदार होगी।

(**ड.**) समस्त ऋणों, दायित्वों, समाश्रित दायित्वों, कर्तव्यों और बाध्यताओं, सुरक्षित या असुरक्षित, चाहे यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल की लेखा पुस्तकों में उपबंध किया गया हो या नहीं या

तुलन पत्र में प्रकट किया गया हो, को परिणामी इकाई समझा जाएगा और परिणामी इकाई द्वारा उसका सम्यक निर्वहन किया जाएगा।

(**च**) क्रयकर्ताओं के साथ यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल द्वारा किए गए विद्युत क्रय करारों सहित सभी संविदाओं, विलेखों, बन्ध पत्रों, करारों, योजनाओं, व्यवस्थाओं और किसी भी प्रकृति के अन्य लिखितों और यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल, के संबंध में कार्मिकों की सेवाओं के उपबंध के लिए की गईं अन्य संविदायें या जिसके लिए यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल एक पक्षकार है या जिसके लाभ के लिए यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल पात्र हो सकते हैं, और जो अन्तरण की प्रभावी दिनांक से ठीक पहले अस्तित्व में हैं या प्रभावी हैं, के विरुद्ध पूरी शक्ति और प्रभाव में रहेंगे या परिणामी इकाई के पक्ष में और पूरी तरह से और प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है मानो, यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल, यथास्थिति, के स्थान पर परिणामी इकाई एक पक्षकार या लाभार्थी या उससे उपकृत थी ।

(**छ**) क्रयकर्ताओं के साथ किए गए विद्युत क्रय करारों के अधीन यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल के समस्त अधिकार और बाध्यतायें अन्तरण के प्रभावी दिनांक से परिणामी इकाई में अन्तरित और निहित माने जाएंगे और क्रयकर्ता क्रय करेंगे और समझा जाएगा कि उन्होंने परिणामी इकाई से विद्युत क्रय की है।

(**ज**) यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल द्वारा किसी तीसरे पक्षकार को किसी कर का समनुदेशन/उद्ग्रहण आस्थगन के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले किन्ही भी समाश्रित दायित्वों को परिणामी इकाई समझा जाएगा।

(**झ**) यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल द्वारा या उनकी ओर से किये गये समस्त पट्टे या अन्य समान करार और उनके संबंध में किए गये अन्य सभी करार बिना किसी और कार्य या विलेख के परिणामी इकाई को सौंपे और अन्तरित किए जाएंगे और उसमें निहित होंगे, जैसे कि परिणामी इकाई उसका एक पक्ष है, और परिणामी इकाई समस्त अधिकारों और विशेषाधिकारों का प्रयोग करने की हकदार होगी और तद्धीन समस्त बाध्यताओं को पूरा करने के लिए दायी होगी।

(**ञ**) यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल के संबंध में समस्त परमिट, कोटा, अधिकार, हकदारी, लाइसेंस सहित, किन्तु व्यापार चिन्ह, किरायेदारी, पेटेंट, कॉपी राइट, विशेषाधिकार, शक्तियां, प्रत्येक प्रकार की सुविधाएं और किसी भी प्रकृति के विवरण लेकिन इन तक ही सीमित नहीं या जिसके लिए यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल पक्षकार हैं, या जिनके प्रसुविधा के लिए यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल पात्र हो सकते हैं, वे पूर्णत: और प्रभावी रूप से प्रवर्तनीय होंगे जैसे कि, यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल के स्थान पर, परिणामी इकाई एक पक्षकार या लाभार्थी या इसके लिए उपकृत थी ।

(ट) यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल का संचालन करने के लिए, या यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल को स्वीकृत की गई, कोई कानूनी लाइसेंस, अनापत्ति प्रमाण पत्र, अनुदान, रियायतें, छूट, अनुमतियां या अनुमोदन या अपेक्षित सहमतियां जिसमें उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, बिक्री कर, सेवा कर, जीएसटी, व्यावसायिक कर, संविदा श्रम रजिस्ट्रीकरण सम्मिलित है, लेकिन इतने तक ही सीमित नहीं है , इस अधिसूचना के अनुसरण में, उपक्रमों के निहित होने के साथ-साथ आगे के कार्य या विलेख के बिना परिणामी इकाई में निहित या अन्तरित हो जाएगा।

(**ठ**) यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल का संचालन करने के लिए अपेक्षित समस्त कानूनी और नियामक अनुमतियों, अनुमोदनों या सहमतियों का लाभ, इस योजना के अनुसरण में परिणामी इकाई में निहित और उपलब्ध होगा।

(**ड**) यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल द्वारा या उसके विरुद्ध किसी भी प्रकृति के समस्त वाद, दावे, कार्रवाईयां और कार्यवाहियां अन्तरण के प्रभावी दिनांक पर या उससे पहले लंबित और /या संस्थित किए गए इस अधिसूचना में यथा उपबंधित अन्तरित या निहित कृत्यों और उपक्रमों के कारण न तो कम होंगे और न ही किसी भी तरह से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे, और इसे जारी रखा जाएगा तथा परिणामी इकाई द्वारा और/या उसके विरुद्ध प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा जैसे कि वह यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल द्वारा या उसके विरुद्ध लंबित रहा हो और/या उसके विरुद्ध उत्पन्न हुआ हो और/या संस्थित किया गया हो।

(**ढ**) परिणामी इकाई अपने कर विवरणी को दाखिल/पुनरीक्षण करने और यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल द्वारा सुसंगत आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, जीएसटी या किसी अन्य कर विधि, चाहे किसी अंतर-कंपनी संव्यवहार के कारण उत्पन्न हों या नहीं, के अधीन संदत की गई समस्त धनराशियों को प्रतिदाय/प्रत्यय का दावा करने और/या सेट ऑफ करने की हकदार होगी। कर विवरणी में इस तरह के पुनरीक्षण करने और प्रतिदाय/प्रत्यय का दावा करने का अधिकार परिणामी इकाई के पक्ष में स्पष्ट रूप से आरक्षित है। अन्तरण के प्रभावी दिनांक से, यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल द्वारा संदेय समस्त करों सहित समस्त या किसी भी दावे के प्रतिदाय को परिणामी इकाई की कर दायित्व या प्रतिदाय/दावे, जैसी भी स्थिति हो, के रूप में माना जाएगा।

(**ण**) अन्तरण के प्रभावी दिनांक से और उस समय तक जब तक सुसंगत बैंक की बहियों और अभिलेखों में यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल के समस्त बैंक खातों के संबंध में खाताधारक के रूप में परिणामी इकाई का नाम दर्ज किया जाता है, परिणामी इकाई यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल के बैंक खातों को संचालित करने की हकदार होगी।

(**त**) इस योजना के प्रभावी होने पर, इसके उपबंधो के अनुसार अन्तरण की प्रभावी दिनांक को परिणामी इकाई की उधार सीमा, परिणामी इकाई की ओर से किसी और कार्य या विलेख के बिना, यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल की उधारी द्वारा बढ़ाई जाएगी, और यदि अपेक्षित हो, तो कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधो के अनुसार अंशधारकों का अनुमोदन प्राप्त करके परिणामी इकाई द्वारा इन सीमाओं को समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है।

(**थ**) अन्तरण के प्रभावी दिनांक से पूर्व बैंकरों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल को अग्रिम समस्त ऋण और अन्य स्वीकृत सुविधाएं जो आंशिक रूप से आहरित/उपयोग की जाती हैं, परिणामी इकाई को स्वीकृत ऋण/अग्रिम/सुविधाएं बन जाएंगी और उक्त ऋण एवं अग्रिम, अन्तरण के प्रभावी दिनांक से यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल द्वारा या तो आंशिक या पूर्ण रूप से आहरित/उपयोग किया जाएगा और यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल द्वारा आहरित सभी ऋण/अग्रिम और/या अन्य सुविधाओं को अन्तरण के प्रभावी दिनांक को और परिणामी इकाई को उपलब्ध कराए गए अग्रिम और ऋण के रूप में माना जायेगा और उक्त खातों में कोई भी अवशेष परिणामी इकाई को अन्तरित कर दी जाएगी और किसी भी ऋण करार के अधीन यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल या परिणामी इकाई या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी और कार्य या विलेख के बिना यूपीआरवीयूएनएल और जवाहर वीयूएनएल की समस्त बाध्यतायें मानी जाएंगी और परिणामी इकाई की बाध्यतायें बन जाएंगी ।

(**द**) इस योजना के प्रभावी होने पर, परिणामी इकाई समस्त धन वसूल करने और यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल के संबंध में सभी लंबित संविदाओं और संव्यवहारों को परिणामी इकाई के नाम पर पूरा करने और प्रवर्तित करने की हकदार होगी जहाँ तक यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल के अधिकारों और बाध्यताओं के अन्तरण हेतु आवश्यक हो।

4. लेखा व्यवहारः

(1) परिणामी इकाई में उपक्रम के अन्तरण और निहित एवं परिणामी समामेलन तथा विलयन का लेखांकन भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी ''भारतीय लेखा मानक 103: कारबार संयोजन'' में यथा अन्तर्विष्ट लेखांकन की ब्याज पद्धति की पूलिंग को लागू करके किया जाएगा।

(2) परिणामी इकाई इस योजना के अनुसरण में इसमें निहित यूपीआरवीयूएनएल और जवाहरपुर वीयूएनएल की आस्तियों और दायित्वों को अन्तरण के दिनांक के अनुसार उनके पुस्तक मूल्य पर अभिलिखित करेगी।

(3) यूपीजेवीएनएल और यूपीआरवीयूएनएल/जवाहरपुर वीयूएनएल के मध्य इंटर-कॉरपोरेट ऋण या अतिशेष की सीमा तक, उसके संबंध में दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा और किन्हीं भी आस्तियों या दायित्वों की, यथास्थिति, कमी के लिए लेखा पुस्तकों और परिणामी इकाई के अभिलेख में तदनुरूपी प्रभाव दिया जाएगा। अंतरण की प्रभावी दिनांक से ऐसे किसी भी अंतर-कंपनी ऋण या अतिशेष के संबंध में कोई ब्याज या अन्य प्रभार का प्रोद्भवन नहीं होगा।

(4) उपरोक्त के होते हुए भी, परिणामी इकाई अपने लेखा परीक्षकों के परामर्श से इनमें से किसी भी अतिशेष को किसी भी तरीके से लेखों में रखने के लिए प्राधिकृत है, यदि इसे अधिक समुचित माना जाता है।

(5) सभी तीनों कंपनियों यूपीआरवीयूएनएल, जवाहरपुर वीयूएनएल और यूपीजेवीएनएल की प्राधिकृत अंश पूंजी को परिणामी इकाई की कुल प्राधिकृत अंश पूंजी के रूप में संकलित किया जाएगा।

(6) परिणामी इकाई की निर्गत, अभिदत्त और समादत्त पूंजी परिणामी इकाई की आस्तियों और दायित्वों का शुद्ध होगी और इस योजना की अनुसूची क में यथा उपबंधित ऐसी निर्गत पूंजी का प्रतिनिधित्व करने वाले अंश, कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधो के अधीन अंशधारकों की न्यूनतम संख्या रखने के लिए राज्य सरकार और राज्य सरकार द्वारा छह नामनिर्देशितियों के नाम से जारी किए जाएंगे।

5. कार्मिकों का स्थानांतरण

एक. कार्मिको का स्थानांतरण अधिनियम की धारा 133 और अन्य लागू उपबंधों में अंतर्विष्ट निबंधन और शर्तों के अध्यधीन होगा।

दो. स्थानांतरण के प्रभावी दिनांक के अनुसार जवाहरपुर वीयूएनएल में प्रतिनियुक्त कर्मियों सहित यूपीआरवीयूएनएल के कार्मिकों को उन्हीं निबन्धन और शर्तों पर परिणामी इकाई में स्थानांतरित किया जाएगा जो स्थानांतरण से ठीक पहले लागू होते। यूपीआरवीयूएनएल के कार्मिक स्थानान्तरण के प्रभावी दिनांक से पूर्व विद्यमान अपने सम्बन्धित संवर्ग को स्थानान्तरण के प्रभावी दिनांक के बाद भी यूपीजेवीएनएल में स्थानान्तरण के प्रभावी दिनांक से पूर्व विद्यमान कार्मिक के संवर्ग से पृथक बनाये रखेंगे।

तीन. इस तरह के स्थानान्तरण पर और अधिनियम के उपबंधो व इस योजना के अन्य उपबंधो के अध्यधीन, कार्मिक, परिणामी इकाई का एक हिस्सा बनेंगे, लेकिन उनकी रैंक, वेतनमान और पारस्परिक वरिष्ठता क्रमश: जैसा कि यूपीआरवीयूएनएल में स्थानांतरण के प्रभावी दिनांक को थी उसे परिणामी इकाई में बनाए रखा जाएगा और स्थानान्तरण के प्रभावी दिनांक को सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य सुविधाएं किसी भी तरह से क्रमश: यूपीआरवीयूएनएल में विद्यमान कार्मिक से कम नहीं की जायेंगी।

चार. कार्मिकों का स्थानांतरण निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात:-

(1) यह कि कार्मिक तब तक स्थानांतरण के प्रभावी दिनांक को विद्यमान लागू नियमावली और विनियमावली द्वारा शासित होंगे, जब तक कि विधि कानून के अनुसार परिवर्तित या पुनरीक्षित नहीं किया जाता है;

(2) स्थानांतरण के आधार पर कार्मिकों के लिए लागू सेवाओं की निबंधन और शर्ते किसी भी तरह से स्थानांतरण दिनांक से ठीक पहले जो उन पर लागू हैं से कम अनुकूल या कमतर नहीं होंगी। तद्नुसार स्थानान्तरण के प्रभावी दिनांक पर लागू सेवान्त लाभों सहित वेतन, भत्ते और अन्य आर्थिक लाभों की रक्षा की जाएगी तथा किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं किया जायेगा;

(3) ऐसे समस्त कार्मिकों को समस्त प्रकार से सेवा की निरंतरता प्राप्त होगी;

(4) स्थानांतरण के प्रभावी दिनांक से पूर्व अर्जित सेवा के सभी लाभों को पूरी तरह से मान्य और संरक्षित किया जाएगा और ऐसे कार्मिकों के किसी भी और सभी सेवांत लाभों के संदाय सहित सभी उद्देश्यों के लिए ध्यान में रखा जाएगा;

(5) कार्मिकों का स्थानांतरण अग्रतर उन आदेशों के अध्यधीन होगा जो न्यायालयों द्वारा उनकी वरिष्ठता या ऐसे कार्मिकों की सेवा शर्तों से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में स्थानांतरण दिनांक को लंबित कार्यवाहियों में पारित किए जा सकते हैं;

(6) स्थानांतरण के दिनांक को किसी भी कार्मिक के विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही सहित कोई भी कार्यवाही या जो स्थानांतरण दिनांक से पहले किये गये कदाचार, चूक, कृत्यों या लोप के संबंध में शुरू की गयी हो, इस तरह के कार्मिकों के स्थानांतरण के कारण समाप्त नहीं होगी और इसे परिणामी इकाई द्वारा जारी रखा जा सकता है जैसे कि इसे परिणामी इकाई द्वारा शुरू किया गया था; और

(7) कर्मचारियों के बकाया दावों को इस स्थानांतरण योजना के कारण निर्वपित नहीं किया जाएगा।

पांच. जहां यूपीआरवीयूएनएल ने अपने द्वारा नियोजित कार्मिकों के लाभ के लिए भविष्य निधि या कोई अन्य निधि स्थापित किया है, उन कार्मिकों से संबंधित धन जिनकी सेवायें इस योजना द्वारा या इसके अधीन स्थानान्तरित की जाती है, स्थानान्तरण के प्रभावी दिनांक के अनुसार परिणामी इकाई को दी जाती है, और परिणामी इकाई में उपक्रमों के निहित होने के दिनांक को इस तरह की निधि का क्रेडिट पहले की तरह तब तक जारी रहेगी जब तक कि यूपीआरवीयूएनएल के कार्मिक के लिए स्वीकार्य वैकल्पिक तंत्र विकसित नहीं हो जाता है और लागू नहीं हो जाता।

6. तीसरे पक्ष के अधिकार और बाध्यताओं का निर्बंधित होना

इस योजना में, अन्यथा उपबंधित के सिवाय स्थानांतरण के प्रभावी दिनांक से, इस योजना का हिस्सा बनने वाले किसी भी मामले के संबंध में सभी व्यक्तियों के अधिकार व बाध्यतायें और समामेलन व विलयन की विषय वस्तु परिणामी इकाई तक निर्बंधित होगी और ऐसे व्यक्ति के पास यूपीआरवीयूएनएल या जवाहरपुर वीयूएनएल के साथ किसी विलेख, दस्तावेजो, लिखतो, करारों या व्यवस्थाओं में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, वह यूपीआरवीयूएनएल या जवाहरपुर वीयूएनएल, जैसी भी स्थिति हो, के विरुद्ध किसी भी अधिकार या हित का दावा नहीं करेगा/करेगी।

7. लंबित वाद, कार्यवाहियाँ आदि

(1) यूपीआरवीयूएनएल या जवाहरपुर वीयूएनएल, द्वारा या उसके विरुद्ध जैसी भी स्थिति हो किसी भी प्रकृति की सभी कार्यवाहियां, स्थानांतरण के प्रभावी दिनांक को लंबित होने पर, इस योजना के अधीन स्थानांतरण के कारण इसे कम या बंद नहीं किया जायेगा या किसी भी तरह से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा और परिणामी इकाई द्वारा या उसके विरुद्ध कार्यवाहियां जारी रखी जाएंगी, मुकदमा चलाया जाएगा और प्रवृत किया जाएगा, जिसे इस योजना और तद्धीन जारी किए गए आदेशों के अनुसार इसे सौंपा गया है।

(2) उपरोक्त उप-खंड (1) के अधीन आने वाली कार्यवाहियां उसी रीति से और उसी सीमा तक जारी रहेगी, जैसा कि यूपीआरवीयूएनएल या जवाहरपुर वीयूएनएल द्वारा या उसके विरुद्ध जैसी भी स्थिति हो जारी, अभियोजित और प्रवृत होती या लागू की गई होती, यदि इस योजना में विनिर्दिष्ट स्थानान्तरण नहीं किये गये होते ।

8. करों, शुल्कों और उद्ग्रहण से छूट

इस योजना के अधीन स्थानांतरण और इसके कार्यान्वयन को राज्य सरकार और उसके स्थानीय निकायों के सभी करों, शुल्कों, उद्ग्रहणों से छूट दी जाएगी।

9. प्रकीर्ण

एक. इस योजना के अधीन उपक्रमों का समामेलन और विलयन अनंतिम होगा।
दो. अंतिम योजना, इस योजना के जारी होने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विनिश्चित किसी अन्य अवधि के भीतर जारी की जाएगी। अग्रतर, योजना को अंतिम रूप देते समय, उत्तर प्रदेश सरकार योजना के निबंधन और शर्तों में ऐसी रीति में और ऐसे निबन्धन और शर्तों पर संशोधन, परिवर्तन, उपांतर, परिवर्धन, विलोपन या अन्यथा बदलाव कर सकती है, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार समुचित समझें।
तीन. इस तरह से अंतिम रूप दी गई योजना के जारी होने पर, योजना के अनुसार किए गए उपक्रम, संपत्तियों, हितों, अधिकारों, दायित्वों और कार्यवाहियों का अंतरण अंतिम होगा।

10. नाम परिवर्तन

परिणामी इकाई अर्थात् यूपीजेवीएनएल, कंपनी का नाम उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगी। तदनुसार, प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् कंपनी का नाम उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड होगा।

11. विधि प्रवर्तन द्वारा अन्तरण

इस योजना के अधीन स्थानान्तरण, राज्य सरकार, यूपीजेवीएनएल, यूपीआरवीयूएनएल, जवाहरपुर वीयूएनएल या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य, विलेख या बात के बिना, स्थानान्तरण के प्रभावी दिनांक को और से इस योजना की निबंधन और शर्तो के अध्यधीन प्रवर्तित और प्रभावी होगा।

12. राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा

(1) यदि इस योजना के अधीन स्थानान्तरण के संबंध में कोई शंका, विवाद, अन्तर या विवाद्यक उत्पन्न होता है, तो उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अधिनियम के उपबंधो के अध्यधीन अंतिम होगा।

(2) राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबंधो से असंगत न हो, और इस योजना के अधीन अन्तरण को कार्यान्वित करने में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो ।

आज्ञा से,

महेश कुमार गुप्ता
अपर मुख्य सचिव।

vuqlwph&d
¼foRrh; fooj.k] va'k iwath ,oa rqyu i=½
ifj.kkeh bdkbZ dk fnukad&31 ekpZ 2022 dks lesfdr rqyu i=A

	fuf/k;ksa ds lzksr	**¼/kujkf'k yk[k #0 esa½**
1	**va'k/kkfj;ksa dh fuf/k**	**2135993.19**
	va'k iwath	1765870.78
	va'k vkosnu /kujkf'k	135744.40
	dks"k o vkf/kD;	234378.01
2	**xSj pkyw nkf;Ro**	**208516.46**
	vU; foRrh; nkf;Ro	161349.79
	Izkko/kku	47166.68
3	**_.k fuf/k% izfrHkwr**	**1309250.14**
	ikoj QkbusUl dkjiksjs'ku	557821.98
	:jy bysfDVªfQds'ku dkjiksjs'ku	272793.81
	LVsV cSad vkQ bf.M;k	327854.00
	cSad vkQ cM+kSnk	136527.13
	cSad vkQ bf.M;k	10867.36
	bafM;u cSad	3385.87
4	**_.k fuf/k% vizfrHkwr**	**1226209.65**
	ikoj QkbusUl dkjiksjs'ku	572875.51
	:jy bysfDVªfQds'ku dkjiksjs'ku	653334.14
	fuf/k;ksa ds lzksr dk ;ksx	**4879969.45**
	fuf/k;ksa dk mi;kstu	**/kujkf'k**
	LFkkbZ vkfLr;ka	3215364.09
	ldy Cykd	1187751.08
	?kVk;sa% lap;h gzkl	**2027613.01**
5	**'kq) Cykd**	**2143335.54**
6	izxfr'khy iwathxr dk;Z	**371180.07**
7	fofu;ksx	368686.85
	Lak;qDr midzeksa o lgkf;fd;ksa esa fofu;ksx	2493.21
	fofu;ksx	**79436.24**
8	**vU; xSj pkyw** vkfLr;ka	
9	pkyw vkfLr;ka] _.k o vfXkze	**975919.19**
	Hk.Mkj ,oa dy iqtsZ	127207.56
	fofo/k nsunkj ¼;wihihlh,y ls izkI;½	580878.91
	jksdM+ ,oa cSad vo'ks"k	96280.11
	vU; pkyw vkfLr;ka	27478.86
	_.k o vfXkze	144073.74
	?kVk;sa%	
10	**pkyw nkf;Ro o micU/k**	**717514.59**
	'kq) pkyw vkfLr;ka	258404.60
	fuf/k;ksa ds mi;kstu dk ;ksx	**4879969.45**